**भारत सरकार**

**जल शक्ति मंत्रालय**

**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 258**

**जिसका उत्तर 08दिसंबर, 2022 को दिया जाना है।**

**.....**

**नदियों को आपस में जोड़ना**

**258. श्रीपल्लब लोचन दास:**
**श्री हँसमुख भाई एस. पटेल:**
**श्री रतनसिंह मगनसिंह राठौड:**
**श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया:**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार का गुजरात सहित देश की नदियों को आपस में जोडने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा जल संरक्षण और पारंपरिक जलस्रोतों की बहाली के लिए क्या पहल की गई है;

(घ) क्या यह सच है कि नदियों को आपस में जोडने से जल संरक्षण और जलस्रोतों की बहाली में मदद मिलेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे सर्वाधिक सूखा प्रभावित राज्यों के लिए नदी जोड़ने की परियोजना के लाभों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**जल शक्तिराज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टूडू)**

**(क) और (ख):** तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय (अब जल शक्ति मंत्रालय) द्वारा जल के अंतर बेसिन अंतरण के माध्यम से जल संसाधनों के विकास के लिए अगस्त, 1980 में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की गई थी ताकि जल की अधिकता वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में जल का स्थानांतरण किया जा सके। एनपीपी के अंतर्गत, राष्ट्रीय जल विकास ऐजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) ने व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए 30 संपर्कों (प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 16 और हिमालयी घटक के अंतर्गत 14) की पहचान की है। नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी कार्यक्रम के अंतर्गत नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा और स्थिति **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

**(ग) और (घ):** जल राज्य का विषय होने के कारण जल संसाधनों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए संवर्धन, संरक्षण और प्रभावशाली प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। तथापि, भारत सरकार ने जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर) और सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) योजनाओं, जल शक्ति अभियान: कैच दा रेन-2022 अभियान आदि जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जल संरक्षण और पारंपरिक जल स्रोतों के पुनरूद्धार की दिशा में नियोजित परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने जैसी कई पहलें की हैं।

जल निकायों की आरआरआर योजना के तहत, 2 हेक्टेयर के न्यूनतम जल प्रसार क्षेत्र वाले ग्रामीण जल निकाय (जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों सहित पूर्वोत्तर, सिक्किम और पहाड़ी राज्यों के लिए 01 हेक्टेयर), और 01 हेक्टेयर के न्यूनतम जल प्रसार क्षेत्र वाले शहरी जल निकाय (जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों सहित पूर्वोत्तर, सिक्किम और पहाड़ी राज्यों के लिए 0.5 हेक्टेयर) सिंचाई के लिए पानी की सुनिश्चित आपूर्ति, पेयजल की उपलब्धता में वृद्धि, भूजल पुनर्भरण और जल संरक्षण हेतु जल निकायों की बहाली के उद्देश्यों के साथ शामिल होने के लिए पात्र हैं।

सतही जल का उपयोग करते हुए अभिनिर्धारित लघु सिंचाई परियोजनाओं (2,000 हेक्टेयर से कम सिंचाई क्षमता वाली) को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लक्ष्य वाली सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) स्कीम को विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए वर्ष 1999-2000 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके बाद, इस स्कीम का विस्तार-सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), जनजातीय, मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी), बाढ़ प्रवण, वामपंथी उग्रवाद और ओडिशा के कोरापुट, बोलांगीर और कालाहांडी (केबीके) क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्रों को शामिल करते हुए किया गया है। एसएमआई योजनाओं का मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना है।

जल शक्ति अभियान: कैच द रेन - 2022 अभियान को मार्च, 2022 में देश के सभी जिलों में शुरू किया गया है। यह अभियान, अन्य बातों के साथ-साथ, जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के लिए हस्तक्षेपों पर केंद्रित है, जिसमें भवनों की छत पर वर्षा जल संचयन संरचनाएं (आरडब्ल्यूएचएस) और परिसरों में जल संचयन गड्ढे बनाना शामिल है; मौजूदा आरडब्ल्यूएचएस का रखरखाव और नए चैक बांध /तालाबों का निर्माण; पारंपरिक जल संचयन संरचनाओं का नवीनीकरण; झीलों/टैंकों और उनके जलग्रहण चैनलों में अतिक्रमण हटाना; टैंकों से गाद निकालना, स्प्रिंग शेड का विकास आदि।

एनपीपी के अंतर्गत नदियों को आपस में जोड़ने वाली (आईएलआर) परियोजनाओं से बाढ़ और सूखे के प्रभावों को कम करके जल संरक्षण में भी मदद मिलेगी। आईएलआर परियोजनाएं कमांड क्षेत्रों में भूजल और टैंकों आदि के पुनर्भरण में भी मदद करेंगी, इस प्रकार, प्राथमिक रूप से सिंचाई लाभ, पेयजल आपूर्ति और जल विद्युत उत्पादन में वृद्धि के अलावा पर्याप्त जल संरक्षण प्रदान करेगी। एनपीपी के अनुसार आईएलआर परियोजनाओं के

कार्यान्वयन से लगभग 166 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी को निकालने और उसके हस्तांतरण में मदद मिलेगी।

**(ङ):** केन-बेतवा लिंक परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और मध्य प्रदेश, राजस्थान राज्यों से संबंधित अन्य संपर्क परियोजनाओं की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के दौरान आईएलआर परियोजनाओं का विस्तृत सर्वेक्षण उनकी और जांच की गई है।

एनपीपी के तहत तीन लिंक परियोजनाएं अर्थात् यमुना-राजस्थान लिंक, राजस्थान-साबरमती लिंक और पार्बती-कालीसिंध-चंबल लिंक से राजस्थान राज्य को लाभ होगा। एनडब्ल्यूडीए द्वारा किए गए सर्वेक्षणों और अध्ययनों के अनुसार, लिंकों से मिलने वाला लाभ और उनकी वर्तमान स्थिति **अनुलग्नक-II** में प्रस्तुत की गई है।

एनपीपी के तहत दो लिंक परियोजनाएं अर्थात् केन-बेतवा लिंक और पार्बती-कालीसिंध-चंबल लिंक से मध्य प्रदेश राज्य को लाभ होगा। केन-बेतवा लिंक एनपीपी के तहत पहला लिंक है जिसके लिए कार्यान्वयन शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश को लाभान्वित करने वाले संपर्कों के लाभ और वर्तमान स्थिति **अनुलग्नक-III** में दी गई है।

*****

**अनुलग्नक-I**

**"नदियों को आपस में जोड़ना विषय पर दिनांक 08.12.2022 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 258 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक**

**नदियों के इंटर-लिंकिंग कार्यक्रम के तहत नदियों की इंटर-लिंकिंग के लिए प्रस्तावों का विवरण और स्थिति**

| क्र.सं. | नाम | नदियां | संबंधित राज्य | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| **प्रायद्वीपीय घटक** | | | | |
| 1(क) | महानदी (मणिभद्रा)-गोदावरी (दोलेश्वरम) नदी जोड़ | महानदी और गोदावरी | झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आन्ध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक और महाराष्ट्र | साध्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई |
| 1(ख) | महानदी (बरमुल)-गोदावरी (दोलेश्वरम) नदी जोड़ | महानदी और गोदावरी | -वही- | साध्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई* |
| 2 | गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (पुलीचिंताला) नदी जोड़ | गोदावरी और कृष्णा | ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक | साध्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई |
| 3 | गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (नागार्जुन सागर) नदी जोड़ | गोदावरी और कृष्णा | -वही- | साध्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई |
| | | | | विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी की गई |
| 4 | गोदावरी (पोलावरम)-कृष्णा (विजवाडा) नदी जोड़ | गोदावरी और कृष्णा | -वही- | साध्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई |
| 5 | कृष्णा (अलमत्ती)- पेन्नार नदी जोड़ | कृष्णा और पेन्नार | तेलंगाना, आन्ध्र प्रदेश महाराष्ट्र, और कर्नाटक | साध्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई |
| 6 | कृष्णा (श्रीसैलम)-पेन्नार नदी जोड़ | कृष्णा और पेन्नार | -वही- | साध्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई |
| 7 | कृष्णा (नागार्जुन सागर)-पेन्नार (सोमसिला) नदी जोड़ | कृष्णा और पेन्नार | -वही- | साध्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई |
| | | | | विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी की गई |
| 8 | पेन्नार (सोमसिला)-कावेरी (ग्रैण्ड एनीकट) नदी जोड़ | पेन्नार और कावेरी | आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुच्चेरी | साध्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई |
| | | | | विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी की गई |
| 9 | कावेरी (कट्टालाई)-वैगई-गुन्डार नदी जोड़ | कावेरी, वैगाई और गुंडार | कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुच्चेरी | विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी कर ली गई |
| 10 | केन-बेतवा नदी जोड़ | केन और बेतवा | उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश | विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (केबीएलपी ने अनुमोदित कर दिया) पूरी कर ली गई है। |
| 11 (i) | पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ | पार्वती, कालीसिंध और चंबल | मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान (राजस्थान ने सहमति बनाने के समय विचार-विमर्श करने का अनुरोध किया) | साध्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई |
| (ii) | पार्वती-कुन्नु–सिंध नदी जोड | पार्वती, कुन्नु और सिंध | मध्य प्रदेश और राजस्थान | साध्यता पूर्व रिपोर्ट पूरी कर ली गई $ |
| 12 | पार-तापी-नर्मदा नदी जोड़ | पार, तापी और नर्मदा | महाराष्ट्र और गुजरात | विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी कर ली गई |
| 13 | दमनगंगा-पिंजाल नदी जोड़ | दमनगंगा और पिंजाल | -वही- | विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी कर ली गई |
| 14 | बेदती-वर्दा नदी जोड़ | बेदती और वर्दा | महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक | साध्यता पूर्व रिपोर्ट पूरी कर ली गई प्रारूप विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | कर ली गई |
| 15 | नेत्रावती-हेमावती नदी जोड़ | नेत्रावती और हेमवती | कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल | साध्यता पूर्व रिपोर्ट पूरी कर ली गई |
| 16 | पंबा-अच्चनकोविल-वैप्पार नदी जोड़ | पंबा, अचनकोविल और वैप्पार | केरल और तमिलनाडु | साध्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई |
| $ राजस्थान की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना और पर्बती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ का एकीकरण | | | | |
| **हिमालयी घटक** | | | | |
| 1. | मानस-सनकोस-तीस्ता–गंगा (एम-एस-टी-जी) नदी जोड़ | मानस, संकोश, तिस्ता और गंगा | भूटान और भारत (असम, पश्चिम बंगाल और बिहार) | साध्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर कार्य चल रहा है। |
| 2. | कोसी-घाघरा नदी जोड़ | कोसी और घाघरा | नेपाल और भारत (बिहार और उत्तर प्रदेश) | साध्यता पूर्व रिपोर्ट पूरी कर ली गई |
| 3. | गंडक-गंगा नदी जोड़ | गंडक और गंगा | -वही- | साध्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई (भारतीय भाग) |
| 4. | घाघरा-यमुना नदी जोड़ | घाघरा और यमुना | -वही- | साध्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई (भारतीय भाग) |
| 5. | शारदा-यमुना नदी जोड़ | शारदा और यमुना | नेपाल और भारत (बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान) | साध्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई (भारतीय भाग) |
| 6. | यमुना-राजस्थान नदी जोड़ | यमुना और सुकरी | गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, | साध्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई |
| 7. | राजस्थान-साबरमती नदी जोड़ | साबरमती | -वही- | साध्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई |
| 8. | चुनार-सोन बैराज नदी जोड़ | गंगा और सोन | बिहार और उत्तर प्रदेश | साध्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई |
| 9. | सोन बांध-गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां नदी जोड़ | सोन और बदुआ | बिहार और झारखंड | साध्यता पूर्व रिपोर्ट पूरी कर ली गई है। |
| 10. | गंगा (फरक्का)-दामोदर-सुबर्णरेखा नदी जोड़ | गंगा, दामोदर और सुबर्णरेखा | पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड | साध्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई। |
| 11. | सुबर्णरेखा-महानदी नदी जोड़ | सुबर्णरेखा और महानदी | पश्चिम बंगाल और ओडिशा | साध्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई |
| 12. | कोसी-मेची नदी जोड़ | कोसी और मेची | नेपाल और भारत (बिहार और पश्चिम बंगाल) | साध्यता पूर्व रिपोर्ट पूरी कर ली गई |
| 13. | गंगा (फरक्का)-सुंदरबन नदी जोड़ | गंगा और इच्छामती | पश्चिम बंगाल | साध्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई |
| 14. | जोगीघोपा-तीस्ता-फरक्का नदी जोड़ (एम-एस-टी-जी का विकल्प) | मानस, तिस्ता और गंगा | असम, बिहार और पश्चिम बंगाल | छोड़ दिया गया |

- पीएफआर-साध्यता पूर्व रिपोर्ट
- एफआर-साध्यता रिपोर्ट
- डीपीआर–विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

*****

**अनुलग्नक-II**

**"नदियों को आपस में जोड़ना विषय पर दिनांक 08.12.2022 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 258 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक**

**एनपीपी के तहत तीन लिंक परियोजनाओं के लाभ और वर्तमान स्थिति जैसे; यमुना-राजस्थान लिंक, राजस्थान-साबरमती लिंक और पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक:-**

| क्र.सं. | लिंक का नाम | लाभांवित राज्य | वार्षिक सिंचाई (लाख हे.) | घरेलू और औद्योगिक आपूर्ति (एमसीएम) | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | पार्बती-कालीसिंध-चंबल लिंक | मध्य प्रदेश और राजस्थान | *एएलटी.I: 2.30<br>एएलटी.II: 2.20 | - 13.2 | एफआर पूर्ण |
| 2. | यमुना-राजस्थान लिंक | हरियाणा और राजस्थान | 2.51 (0.11+ 2.40 ) | 30 | एफआर पूर्ण |
| 3. | राजस्थान-साबरमती लिंक | राजस्थान और गुजरात | 11.53 (11.21+0.32) | 102 | एफआर पूर्ण |

* एएलटी I- गांधीसागर बांध के साथ लिंक, एएलटी II- राणा प्रतापसागर बांध के साथ लिंक

*****

**अनुलग्नक-III**

**"नदियों को आपस में जोड़ना विषय पर दिनांक 08.12.2022 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 258 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक**

**एनपीपी के तहत मध्य प्रदेश को लाभान्वित करने वाले लिंक की वर्तमान स्थिति और लाभ जैसे केन-बेतवा लिंक और पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक:**

| क्र.सं. | लिंक का नाम | लाभांवित राज्य | वार्षिक सिंचाई (लाख हे.) | घरेलू और औद्योगिक आपूर्ति (एमसीएम) | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | पार्वती-कालीसिंध--चंबल लिंक | मध्य प्रदेश और राजस्थान | * एएलटी.I: 2.30 एएलटी.II: 2.20 | 13.2 | एफआर पूर्ण |
| 2. | केन-बेतवा लिंक | उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश | 10.62 (2.51 +8.11) | 194 | डीपीआर पूर्ण हो चुकी है और कार्यान्वयन शुरू हो गया है। |

* एएलटी. I- गांधीसागर बांध के साथ लिंक, एएलटी. II- राणा प्रतापसागर बांध के साथ लिंक

*****